



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2019/

दिनांक : 23-04-2019


आदेश 28

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 41 के अन्तर्गत विभाग में नियमित रूप से चयनित निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को तुरन्त प्रभाव से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किया जाता है :-

गैर अनुसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	नाम	अजा/ अजजा	नियमित नियुक्ति की तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	श्रीमती अनिता पारीख		01.01.2016	बांसवाड़ा
2.	श्री योगेश्वर कुमार राठी		28.02.2017	अजमेर संभाग
3.	श्री रूपकिशोर गर्ग		28.02.2017	अजमेर

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



(के. एम. दूडियो),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

दिनांक : 23-04-2019

क्रमांक : एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2019/759-765

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बांसवाड़ा।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट/उप निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी डाउनलोड कर सकें।
6. वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेथ लिपिक।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (संस्थापन)